

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0- 26/2020

अनवान :-

1. रामेश्वरलाल पुत्र टीकूराम जाति मेधवाल साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-प्रार्थीगण/सायलान

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी , अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 30/7/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/22 के प0न0 229/396(15) किला न0 11/2 की 0.0050हैक् प0न0 228/396(16) किला न0 7/2 की 0.0250हैक् कुल 0.0280हैक् व खाता संख्या 48/34 के प0न0 228/306(16) के किला न0 1/3 की 0.1900हैक् 8/1 की 0.0250हैक् 10/3 की 0.0250हैक् कुल 0.2400हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/22 के प0न0 229/396(15) किला न0 11/2 की 0.0050हैक् प0न0 228/396(16) किला न0 7/2 की 0.0250हैक् कुल 0.0280हैक् व खाता संख्या 48/34 के प0न0 228/306(16) के किला न0 1/3 की 0.1900हैक् 8/1 की 0.0250हैक् 10/3 की 0.0250हैक् कुल 0.2400हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा प्रार्थी ने अपने खेत में आवागमन करने हेतु रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 की भूमि को रास्ता उपयोग में लेता आ रहा है तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है।

प्रार्थी चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 की भूमि से अपने खेत में आता है एवं रास्ते के उपयोग में लेता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता स्वीकृत नहीं है बल्की प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थी चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 भूमि जिसका खातेदार काश्तकार है को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 में दो दो गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल अपने नाम भूमि को रास्ता स्वीकार चाहता है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/22 के प0न0 229/396(15) किला न0 11/2 की 0.0050हैक् प0न0 228/396(16) किला न0 7/2 की 0.0250हैक् कुल 0.0280हैक् व खाता संख्या 48/34 के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प0न0 228/306(16) के किला न0 1/3 की 0.1900हैक् 9/1 की 0.0250हैक् 10/3 की 0.0250हैक् कुल 0.2400हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

प्रार्थी की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खता संख्या 47/22 के प0न0 229/396(15) किला न0 11/2 की 0.0050हैक् प0न0 228/396(16) किला न0 7/2 की 0.0250हैक् कुल 0.0280हैक् व खाता संख्या 48/34 के प0न0 228/306(16) के किला न0 1/3 की 0.1900हैक् 9/1 की 0.0250हैक् 10/3 की 0.0250हैक् कुल 0.2400हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा प्रार्थी ने अपने खेत में आवागमन करने हेतु रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 की भूमि को रास्ता उपयोग में लेता आ रहा है तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है ।

प्रार्थी चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 9/1, 10/3 की भूमि से अपने खेत में आता है एवं रास्ते के उपयोग में लेता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता स्वीकृत नहीं है बल्की प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

प्रार्थी चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 भूमि जिसका खातेदार काश्तकार है को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 में दो दो गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे ।

पेरोकार ने भी निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि को रास्ता के रूप में दर्ज/ स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 47/22 के प0न0 229/396(15) किला न0 11/2 की 0.0050हैक् प0न0 228/396(16) किला न0 7/2 की 0.0250हैक् कुल 0.0280हैक् व खाता संख्या 48/34 के प0न0 228/306(16) के किला न0 1/3 की 0.1900हैक् 9/1 की 0.0250हैक् 10/3 की 0.0250हैक् कुल 0.2400हैक् भूमि का खातेदार है

सायल का कथन है कि वह अपनी खातेदारी भूमि में प0न0 228/396(16) के किला न0 7/2 ,9/1, 10/3 में से होकर अपने खेत में जाता है जो उसके नाम खातेदारी दर्ज है जिसे रास्ते के उपयोग में ले रहा है ।


कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी स्वेच्छा से अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप में बतौर गैर मुमकिन दर्ज करवा सकता है अर्थात् रास्ते के लिये समर्पण कर रहा है जो उसकी आवासीय भूमि तक जाता है

मौका नक्शा के अनुसार भी प्रार्थी/सायल के द्वारा जो रास्ता दर्ज करवाना चाहता है वह स्वीकृत रास्ता को जोड़ता हुआ उसकी आवासीय भूमि तक जाता है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल स्वयं अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज/समर्पण करवाना चाहता है ।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396 (16) के किला न0 7/2 ,9/1 ,10/3 में दो 0.0250 रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/11 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध
में प्रार्थना-पत्र सं0 26 सन 2021 निर्णय दिनांक 30/7/21

अनवान :-

अनवान :-


1. रामेश्वरलाल पुत्र टीकुराम जाति मेघवाल निवासी थालडका
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-प्रार्थी/सायल

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
-अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा
चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 228/396 (16)के किला न0 7/2, 9/1, 10/3 प्रत्येक
में से 0.0250 हैक् रास्ता स्वीकृत किया गया है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया
जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
नोहर